न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण सख्या /2021(2021/512)

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र लालचन्द जाति महाजन निवासी केकडी जिला अजमेर
2. विनय कुमार लालचन्द महाजन निवासी केकडी जिला अजेमर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रसाद पाराशर वकील प्रार्थी
2. राजस्थानसरकार– पेरोकार सरकार तहसीलदार केकडी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 भू.राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक 29.12.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 131 का प्रस्तुत किया कि कस्बा केकडी के आराजी जमाबन्दी सं. 2079–72 के खाता नया–पुराना खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.02 है. किस्म गै.मु.चाह व खसरा नम्बर 1174 रकबा 1.98 है. किस्म बारानी प्रथम के पुराने खसरानम्बर कमशः 4313/1, 4313/2, है , जो राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है, उक्त वर्णित आराजी के पुर्व राजस्व रिकॉर्ड (राजस्व रिकॉर्ड) अनुसार हाल नक्शे में रकबा बरारी छोटी कर दी है जबकि पुर्व नक्शे ही मोके पर रकबा पूर्ण है। व पूर्ण रकबा प्रार्थीगण के के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य उपयोग , उपभोग में चला आ रहा है । अतः हाल राजस्व नक्शे मे रकबा बरारी छोटी कर उपयोग में चला आ रहा है। अतः हाल राजस्व नक्शे में रकबा बरारी छोटी कर दी है, जो दुरूस्त होने योग्य है। उक्त वर्णित आराजीयात के वर्तमान वर्तमान नक्शे को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी नक्शे में रकबा बरारी कम कर दी गयी यानि नक्शे की आकृति छोटी कर दी गई है। जबकि मौके पर रकबा पूर्व नक्शे अनुसार है। अतः पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित एंव न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व नक्शे अनुसार रकबा बरारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अजहदक्षति होगी। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शे में दुरूस्त कर पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार हाल राजस्व नक्शे में रकबा बरारी दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित ।

तहसीलदार केकडी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसके अनुसार कस्वा केकडी की जमाबन्दी स. 2076–स्थायी के खाता स. 1120 के खसरा न. 1173 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. चाह , ख.न. 1174रकबा 1.98 किस्म बारानी प्रथम पर प्रकाशचन्द्र पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/2 , विनय कुमार पुत्र लालचन्द हि. 1/2 , जाति महाजन साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार ख.न. 1173,रकबा 0.02 के साबिक ख.न. 4313/1 रकवा 0.02, ख.न. 1174 रकबा 1.98 के साबिक खसरा नम्बर 4313/2 रकवा 1.98 से बने है। नक्शा स. 2027–28 में खसरा न. 4313/2 की मोका व नक्शें में रकबा बरारी करने पर जमाबन्दी अनुसार उक्त ख.न. का धारित रकबा [illegible] 2027–28 से वर्तमान नक्शे का मिलान करने पर वर्तमान नक्शे से डॉटेड लाईन [illegible] उक्त ख.न. के दोनो नक्शें सर्वागसंग हो जाते है। संलग्न वर्तमान [illegible] वाले भाग को लाल स्याही से दर्शाया गया है, के अनुसार [illegible] पड़ोसी खातेदारों का [illegible] प्रभावित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.21 13:11:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

पक्षकारान को सुना गया । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया । पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में अंकित कथन अनुसार दुरूस्ती किये जाने में सहमति दी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कस्बा केकडी की जमाबन्दी स. 2076—स्थायी के खाता स. 1120 के खसरा न. 1173 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. चाह , ख.न. 1174रकबा 1.98 किस्म बारानी प्रथम पर प्रकाशचन्द्र पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/2 , विनय कुमार पुत्र लालचन्द हि. 1/2 , जाति महाजन साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार ख.न. 1173,रकबा 0.02 के साबिक ख.न. 4313/1 रकबा 0.02, ख.न. 1174 रकबा 1.98 के साविक खसरा नम्बर 4313/2 रकबा 1.98 से बने है। नक्शा स. 2027—28 में खसरा न. 4313/2 की मोका व नक्शें में रकबा बरारी करने पर जमाबन्दी अनुसार उक्त ख.न. का धारित रकबा 1.98 बनता है नक्शा संवत 2027—28 से वर्तमान नक्शे का मिलान करने पर वर्तमान नक्शे से डॉटेड लाईन करने के बाद उक्त ख.न. के दोनो नक्शें सर्वागसंग हो जाते है। संलग्न वर्तमान नक्शा जिसमें शुद्वि किये जाने वाले भाग को लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार केकडी को दिये जाते है। आदेशानुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे।। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.21 13:11:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner